न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

क्रमांक/कोर्ट/2025/628 दिनांक : 09.06.2025

तहसीलदार,
तहसील रामपुरा डाबडी,
जिला जयपुर।

विषय :– वाद सं0 110/2024 उनवानी ग्यारसी बनाम सरकार व अन्य में निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06.2025 की पालना में पालना रिपोर्ट भिजवाने बाबत्।

उपर्युक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वाद सं0 110/2024 उनवानी ग्यारसी बनाम सरकार व अन्य में निर्णय व अन्तिम डिक्री दिनांक 03.06.2025 की छायाप्रति संलग्न कर भिजवाई जा रही है। खसरा नम्बर 3/324 रकबा 0.0300 हैक्टेयर ग्राम दलपुरा पटवार हल्का चतरपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर में नक्शे में अंकित रास्ते को हटाकर पुनः बारानी–तृतीय एवं नक्शा ट्रेस में दुरूस्त किया जाकर सही नक्शा ट्रेस रिपोर्ट अतिशीघ्र न्यायालय में भिजवायें।

संलग्नः– 1. प्रतिलिपि निर्णय व डिक्री दिनांक 03.06..2025

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:41 IST
Reason: SelfAttested

phone no. : 0141-2209013 (O) Email: acm[illegible]pr@gmail.com

फर्द अहकाम

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु0 जयपुर

श्यामदेवी / सरकार

केस संख्या 110/2024 (डिग्री)

केस संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	23-5-2025	पत्रावली प्रस्तुत। वकील वादी उपस्थित। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली में तनकी संख्या-2, प्रतिवादी-2 के जवाब अनुरूप नहीं बनी है अतः तनकी संख्या-2 delete की जाती है। पत्रावली में उभयपक्ष की बहस पुनः सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 03/6/25 को पेश हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर
	3-6-25	पत्रावली प्रस्तुत। व०कु० उपस्थित। पत्रावली आदेश हेतु नियत है। वाद वादी डिग्री किया जाता है। खसरा नम्बर 3/3204 रकबा 0.0300 हैक्टेयर वाके ग्राम ढलपुरा पटवार हल्का चतरपुरा भू.अभि. निरीक्षक रोजदा तहसील रामपुरा-डाबड़ी जयपुर के नक्शे में अंकित रास्ते को हटाकर पुनः बारानी-प्रथम एक नक्शा ट्रेस में कायम किया जाकर सही नक्शा ट्रेस बनाया जाकर तहसीलदार रामपुरा-डाबड़ी को [illegible] है। पृथक विस्तृत निर्णय [illegible] पृथक से लिखाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:41 IST
Reason: Self Attested

न्यायालय :– सहायक कलक्टर आमेर,
मुख्यालय जयपुर (राज.)

पीठासीन अधिकारी : सुमन चौधरी
आर.ए.एस.

नियमित वाद संख्या –110/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक –16.12.2024

ग्यारसी देवी पत्नी प्रभूदयाल जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम दलपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

..........वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर।
2. कमलेश पुत्र शंकर लाल ....प्रतिवादी
3. जगदीश पुत्र हनुमान
4. जगदीश पुत्र प्रभूदयाल
5. मोहनी पत्नी हनुमान
6 शारदा पत्नी शंकर लाल
7. सुरजमल पुत्र हनुमान (फौत)

7/1. मन्नी देवी पत्नी सुरजमल

7/2. लोकेश शर्मा पुत्र सुरजमल नाबालिग माता संरक्षिका मन्नी देवी समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम दलपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

..........तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, दुरूस्ती इन्द्राज एवं स्थाई निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा– 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थिति :–

(1) श्री एच. एन. शर्मा – अधिवक्ता वादी की ओर से

(2) श्री रोशन लाल शर्मा – अधिवक्ता प्रतिवादीगण की ओर से।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:41 IST
Reason: SelfAttested

दिनांक 03.06.2025

हस्तगत वाद [illegible] तथ्य इस प्रकार से है कि वाद वाके ग्राम दलपुरा पटवार हल्का चतरपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रोजदा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर में स्थित आराजी खसरा नम्बर 1 रकबा 3 बीघा 2 बिस्वा भूमि स्थित थी जिसका इन्द्राज जमाबन्दी (खतौनी) संवत 2030 से 2041 तक में दर्ज हैं एवं वादीया उसी के अनुसार उक्त भूमि का उपयोग उपभोग करती आ रही हैं। दौराने

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

पैमाईश कार्य भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारियों द्वारा साबिक खसरा नम्बर 1 के हाल खसरा नम्बर 1 रकबा 0.3400 हैक्टेयर चाही खसरा नम्बर 4 रकबा 0.4100 हैक्टेयर है बारानी एवं खसरा नम्बर 3/324 रकबा 0.0300 हैक्टेयर गै० मु० रास्ता कायम कर उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड (जमाबन्दी) में दर्ज कर दिया गया है एवं उसी के अनुसार नक्शा बनाकर गै०मु० रास्ता अंकित कर दिया। यहां यह कहना अतिआवश्यक है कि भू–प्रबंध कार्य के पूर्व खसरा नम्बर 1 में कोई रास्ता दर्ज नही था एवं सम्पूर्ण आराजी को वादीया कृषि कार्य हेतु उसका उपयोग उपभोग करती आ रही है तथा वर्तमान में भी कृषि कार्य हो रहा हैं। भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारियों ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से व बिना वादीया को सूचना दिये बिना ही वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में खसरे के मध्य में से गै०मु० रास्ता दर्ज कर दिया जिसका खसरा नम्बर 3/324 रकबा 0.0300 हैक्टेयर हैं अंकित कर दिया उसी के अनुसार नक्शा ट्रेस तैयार कर दिया गया जिसका भू–प्रबंध अधिकारियों को कोई अधिकार नही है एवं जो कतई कानून संवत नही है भू–प्रंबध विभाग द्वारा वादीया की खातेदारी भूमि में जो गै०मु० रास्ता का अंक्रन किया गया है एवं नक्शे में भी गलत रूप से तरमीम किया है उसका उनको कोई विधिक अधिकार प्राप्त नहीं है। विवादित कृषि भूमि में साबिक खसरा नंबर 3/324 गै०मु० रास्ता भू–प्रबधं कर्मचारियों द्वारा अंकित कर एवं उसी के अनुसार नक्शे में रास्ता अंकित करने का जो कार्य किया हैं वह भू–प्रबंध विभाग के क्षेत्राधिकार में नही आता हैं। इसको दुरूस्त किया जाना न्याय की दृष्टि से आवश्यक हैं। इसलिये वाद हाजा बाबत इन्द्राज दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा का दावा पेश करना आवश्यक हुआ हैं। वादीया को यह विधिक अधिकार प्राप्त है कि वह साबिक राजस्व रिकार्ड के अनुसार हाल रिकार्ड व हाल नक्शा तरमीम करवाये क्योंकि बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश बिना सक्षम वादीया खातेदारी की भूमि में गै०मु० रास्ता दर्ज किया है एवं इसी के अनुसार नक्शे में तरमीम किया है उसकी वजह से वादीया की कब्जे काश्त की भूमि में काश्त करना संभव नहीं रहा हैं। बिनाय मुखासमत आज से सात रोज पूर्व आराजी मुतनाजा में वादी के हक व हिस्से की भूमि पर जब वादीया अपनी कृषि भूमि की बाजोत करवा रही थी तो कुछ व्यक्ति भू–प्रबंध विभाग द्वारा गलत अंकित किये गये रास्ते में से जाने लगे वादीया द्वारा मना करने पर उन्होंने कहा कि यह तो रास्ता है हम इसमें से आयेगें जायेगें और बाजोत करने नहीं करने दी। इस कारण वादिया को दावा हाजा पेश करना लाजमी हुआ। आराजी मुतदाविया खसरा नम्बर 1 जिसका जिक्र वाद मद संख्या 1 में किया गया है में भू–प्रबंध विभाग द्वारा खसरा नम्बर 3/324 रकबा 0.0300 हैक्टेयर गै०मु० रास्ता बनाया गया है उसे हटाकर पुनः बारानी–तृतीय एवं नक्शा ट्रेस में दुरुस्त किया जाकर सही नक्शा ट्रेस बनवाया जावें, तदानुसार राजस्व रिकार्ड एवं नक्शा ट्रेस में इसकी दुरूस्ती की जाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर म., जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर म., जयपुर

पूर्व अनुसार की जावें। प्रतिवादीगण को जरिये हुक्म इम्तनाई इस कदर पाबन्द फरमाया जावें कि वह नक्शे में अंकित गलत सीमाओं के आधार पर वादी के हक हिस्सा व कब्जे की आराजी के उपयोग उपभोग में किसी प्रकार की दखलन्दाजी ना तो स्वयं करें, ना ही दीगरान् के जरिये करवाये ना ही वादी को अपने हिस्से की कब्जेशुदा आराजी से बेदखल करें ना ही निर्माण करें, ना उसका बेचान करें।

प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7/2 की ओर से जवाब दावा पेश किया गया जिसमें बताया गया कि वाद मद संख्या 2 जिस तरह से तहरीर किया गया है, इस हद तक स्वीकार है कि दौराने पैमाईश कार्य भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारियों द्वारा साबिक खसरा नम्बर 1 के हाल खसरा नम्बर 1 रकबा 0. 3400 हैक्टेयर चाही खसरा नम्बर 4 रकबा 0.4100 हैक्टेयर है बारानी एवं खसरा नम्बर 3/324 रकबा 0.0300 हैक्टेयर गै०मु० रास्ता कायम कर उसी के अनुसार राजस्व रिकार्ड एवं उसी के अनुसार नक्शा बनाकर गै० मु० रास्ता अंकित कर दिया। यहां यह कहना अतिआवश्यक है कि भू–प्रबंध कार्य के पूर्व खसरा नम्बर 1 में कोई रास्ता दर्ज नही था। भू–प्रबंध विभाग के कर्मचारियों ने बिना किसी सक्षम न्यायालय के आदेश से व बिना वादीया को सूचना दिये बिना ही वाद पत्र की मद संख्या 1 में वर्णित कृषि भूमि में खसरे के मध्य में से गै०मु० रास्ता दर्ज कर दिया जिसका खसरा नम्बर 3/324 रकबा 0.0300 हैक्टेयर हैं अंकित कर दिया उसी के अनुसार नक्शा ट्रेस तैयार कर दिया गया। वाद मद संख्या 4 जिस तरह से तहरीर किया गया है, इस हद तक स्वीकार है कि विवादित कृषि भूमि में साबिक खसरा नम्बर । में भू–प्रबंध विभाग द्वारा जो हाल खसरा नम्बर बनाये गये उनमें खसरा नम्बर 3/324 गै० मु० रास्ता भू–प्रबंध कर्मचारियों द्वारा अंकित कर एवं उसी के अनुसार नक्शे में रास्ता अंकित भू–प्रबधं विभाग के क्षेत्राधिकार में नहीं आता हैं। इसको दुरूस्त किया जाना न्याय की दृष्टि से आवश्यक हैं।

तहसीलदार तहसील रामपुरा डाबडी की ओर से बिंदुवार जवाब प्रस्तुत कर अंकित किया कि ग्राम दलपुरा के आराजी खसरा नंबर 3/324 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता की खातेदारी कमलेश पुत्र शंकरलाल हि. 1/12 राहिन आरएमजीबी [illegible] देवी पत्नी प्रभुदयाल हि. 1/6, जगदीश पत्नी हनुमान हि. 1/6, [illegible] पुत्र प्रभुदयाल हि. 1/6 राहिन आरएमजीबी शाखा खोराबीसल, [illegible] पत्नी [illegible] हि. 1/6, शारदा देवी पत्नी शंकरलाल हि. 1/12 जाति [illegible] दर्ज रिकॉर्ड है। (जमाबंदी की प्रति संलग्न है) वर्तमान नक्शे में खसरा नंबर 3/324 रकबा 0.03 हैक्टेयर किस्म गै.मु. रास्ता नक्शे दर्ज है। (नक्शे की प्रति संलग्न है) खसरा नंबर 1 व 3/324 पर माननीय न्यायालय एसीएम आमेर के [illegible] पत्र संख्या 5/2025 उनवान ग्यारसीलाल बनाम

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:41 IST
Reason: Self Attested

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

राजस्थान सरकार वगै. में पारित निर्णय दिनांक 09.01.2025 के द्वारा मौके व रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखने का नोट अंकित है। उक्तानुसार जवाब तैयार किया जाकर मय रिपोर्ट पटवारी हल्का की प्रति, जमाबंदी की प्रति व नक्शे की प्रति संलग्न की गई।

प्रतिवादी संख्या 2 लगायत 7/2 की ओर से जवाब दावा पेश होने पर नियमानुसार विवाद्यक तनकीयात कायम की गई।

1. आया वादिया को वाद अधीन कृषि भूमि खसरा नंबर 1 व 4 के मध्य भू–प्रबंध विभाग द्वारा गै. मु. रास्ता खसरा नंबर 3/324 रकबा 0.0300 हैक्टेयर अंकित कर जो नक्शा ट्रेस तैयार किया उसके लिए इंद्राज दुरूस्ती एवं इंद्राज नक्शा ट्रेस कराये जाने का अधिकार प्राप्त हैं ?

2. Delete .... **जिम्मे वादिया**

3. अनुतोष ....**जिम्मे प्रतिवादी संख्या 1**

वादिया ने अपने वादपत्र के समर्थन में साक्ष्य पी. डब्लयू 1 ग्यारसी देवी पत्नी प्रभुदयाल जाति बागडा ब्राहम्ण, गाम दलपुरा, तहसील रामपुरा डाबडी, जिला जयपुर प्रदर्शित करवाये तथा जमाबंदी संवत 2075 से 2078 प्रदर्श–1, खसरा नक्शा खसरा नंबर 1, 4, 3/324 प्रदर्श– 2, जमाबंदी संवत 2030 लगायत 2033 प्रदर्श–3, जमाबंदी संवत 2038 लगायत 2045 प्रदर्श–4, नक्शा फोटो प्रति प्रमाणित खसरा नंबर 1 प्रदर्श–5, प्रमाणित प्रतिलिपि मिलान क्षेत्रफल प्रदर्श– के प्रदर्शित करवायें। स्वयं वादिया साक्षात् बतौर गवाह शपथ पत्र पी. डब्लू 1 पेश किया।

हमने विद्वान अधिवक्तागण वादी एवं प्रतिवादीगण की बहस सुनी। प्रस्तुत न्यायिक दृष्टान्त, लिखित बहस तथा प्रतिवादीगण के जवाब दावा पर मनन किया। तनकी संख्या 2 प्रतिवादी संख्या 1 के अभिवचनो के अनुसार नहीं होने से delete की गई।

पत्रावली व प्रस्तुत साक्ष्यों का अध्ययन किया गया तथा तनकीयात् निम्नानुसार निर्णित की जाती है:–

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 18:20:41 IST
Reason: SelfAttested

1. आया वादिया को वाद अधीन कृषि भूमि खसरा नंबर 1 व 4 के मध्य भू–प्रबंध विभाग द्वारा गै. मु. रास्ता खसरा नंबर 3/324 रकबा 0.0300 हैक्टेयर अंकित कर जो नक्शा ट्रेस तैयार किया उसके लिए इंद्राज दुरूस्ती एवं इंद्राज नक्शा ट्रेस कराये जाने का अधिकार प्राप्त हैं ?

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

.... **जिम्मे वादिया**

तनकी संख्या 1 को साबित करने का भार वादीगण पर है, भू–प्रबंध विभाग द्वारा दौराने सेटलमेन्ट मौके के विपरीत जाकर वादीगण की खातेदारी की भूमि खसरा नंबर 1 व 4 के मध्य भू–प्रबंध विभाग द्वारा खसरा नंबर 3/324 रकबा 0.0300 हैक्टेयर मे गैर मु. रास्ता अंकित किया है, जोकि प्रदर्श 1 ता 5 से साबित है। जिसके समर्थन में वादीया ने जमाबंदी संवत 2075 से 2078 प्रदर्श–1, खसरा नक्शा खसरा नंबर 1, 4, 3/324 प्रदर्श– 2, जमाबंदी संवत 2030 लगायत 2033 प्रदर्श–3, जमाबंदी संवत 2038 लगायत 2045 प्रदर्श–4, नक्शा फोटो प्रति प्रमाणित खसरा नंबर 1 प्रदर्श–5, प्रदर्शित करवाया है। भू–प्रबंध विभाग को वादीगण की खातेदारी की विवादित भूमि की किस्म मौके व वास्तविकता के विपरीत जाकर परिवर्तित करने का कोई अधिकार नही है। उक्त भू–प्रबंध विभाग द्वारा किया गया कार्य क्षेत्राधिकार के विपरीत किया गया है

वादीया वादग्रस्त भूमि की किस्म साबिक के अनुसार बारानी तृतीय राजस्व भू अभिलेख जमाबन्दी अनुसार दुरूस्त करवाकर खसरा नम्बर 3/324 रकबा 0.0300 हैक्टयर के नक्शे में अंकित रास्ते की लाईन हटाकर साबिक नक्शे अनुसार दुरूस्त करवाने के अधिकारी है। जिसके समर्थन में प्रतिवादीगण ने न्यायिक दृष्टान्त पेश किये 2015 (2) आर. आर. टी. (2),1998 आर. बी. जे. 274,1998 (5) आर. बी. जे. 290,1998 (5) आर.बी. जे 610,2001 (8) आर. बी. जे 170,2001 (8) आर. आर. टी. 244,2003 (10) आर. बी. जे. 118,2008 (1) आर. आर. टी.। जिससे हम पूर्णतः सहमत है। फलस्वरूप तनकी संख्या 1 लगायत 3 वादी के पक्ष में निर्णित की जाती है।

आदेश

तनकी संख्या 01 में पारित निष्कर्ष के आधार पर वादीगण अपने वाद को बखूबी साबित किया हैं तथा वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 3/324 रकबा 0.0300 हैक्टेयर ग्राम दलपुरा पटवार हल्का चतरपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रोजदा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर में नक्शे में अंकित रास्ते को हटाकर पुनः बारानी–तृतीय एवं नक्शा ट्रेस में दुरुस्त किया जाकर सही नक्शा ट्रेस बनवाया जावें। तहसीलदार रामपुरा डाबडी जयपुर को पालना बाबत पत्र जारी हों। प्रतिवादीण 2 ता 7 वादीगण के कब्जेकाश्त, उपयोग–उपभोग में खलल अंदाजी पैदा नहीं करे। तदनुसार डिक्री जारी की जाये। पत्रावली नियमानुसार फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:41 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

निर्णय आज दिनांक 03.06.2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ऑ 20 रूल्स 6 व 7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत सहायक कलक्टर आमेर, मु0 जयपुर

पीठासीन अधिकारी सुमन चौधरी (आर.ए.एस)

नियमित वाद संख्या –110/2024 वाद प्रस्तुति दिनांक –16.12.2024

ग्यारसी देवी पत्नी प्रभूदयाल जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम दलपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

..........वादी

बनाम

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील रामपुरा डावडी, जिला जयपुर।

...........प्रतिवादी

2. कमलेश पुत्र शंकर लाल
3. जगदीश पुत्र हनुमान
4. जगदीश पुत्र प्रभूदयाल
5. मोहनी पत्नी हनुमान
6. शारदा पत्नी शंकर लाल
7. सुरजमल पुत्र हनुमान (फौत)

7/1. मन्नी देवी पत्नी सुरजमल

7/2. लोकेश शर्मा पुत्र सुरजमल नाबालिग माता संरक्षिका मन्नी देवी

समस्त जाति बागडा ब्राह्मण निवासी ग्राम दलपुरा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर।

..........तरतीबी प्रतिवादीगण

वाद बाबत घोषणा, इन्द्राज दुरूस्ती एवं स्थाई निषेधाज्ञा

अंतर्गत धारा– 89, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

निर्णय दिनांक 03.06.2025

तनकी संख्या 01 में पारित निष्कर्ष के आधार पर वादीगण अपने वाद को बखूबी साबित किया हैं तथा वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है। अतः वादी का वादपत्र स्वीकार किया जाकर खसरा नम्बर 3/324 रकबा 0.0300 हैक्टेयर ग्राम दलपुरा पटवार हल्का चतरपुरा भू–अभिलेख निरीक्षक क्षेत्र रोजदा तहसील रामपुरा डाबडी जिला जयपुर में नक्शे में अंकित रास्ते को हटाकर पुनः बारानी–तृतीय एवं नक्शा ट्रेस में दुरुस्त किया जाकर सही नक्शा ट्रेस बनवाया जावे। तहसीलदार तहसील रामपुरा डाबडी जयपुर को इस बाबत तहरीर जारी हों। प्रतिवादीगण 2 ता 7 वादीगण के कब्जेकाश्त, उपयोग–उपभोग में दखलअन्दाजी पैदा नहीं करे।

बसख्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत से आज तारीख 03.06.2025 को जारी किया ।

Signature Not Verified
Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:41 IST
Reason: SelfAttested

दस्तखत ——

ओहदा ——

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सहायक कलक्टर
आमेर मु0 जयपुर

मुददई	रूपये	पैसे	मुददायलह	रूपये	पैसे
स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–	स्टाम्प अर्जी दावा	2 रूपये	–
स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये		स्टाम्प वकालतनामा	2 रूपये	
स्टाम्प वजह सबूत			स्टाम्प वजह सबूत		
महन्ताना वकील			महन्ताना वकील		
खर्चा गवाहन			खर्चा गवाहन		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत् इजराय हुक्मानामा			बबत् इजराय हुक्मानामा		
मुतफरित			मुतफरित		
मीजान	4 रूपये		मीजान	4 रूपये	

न्यायालय सहायक कलक्टर आमेर मु. जयपुर

सत्यमेव जयते

सहायक कलक्टर
आमेर मु. जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Suman Choudhary
Date: 2025.06.12 13:20:41 IST
Reason: SelfAttested